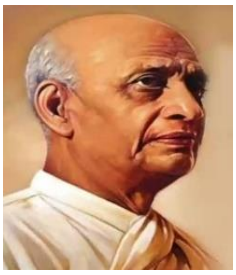

COMMUNIST NATION PARTY- भारत

कम्यूनिस्ट् नेशन् पार्टि - (भारत)

کمیونسٹ نیشن پارٹی-(انڈیا)

કોમ્યુનિસ્ટ નેશન પાર્ટી-ભારત

Sardar Vallabhbhai Patel **ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷ- ಭಾರತ** **Adv. A. A. SIDDIQUIE**

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേഷൻ പാർട്ടി-ഇന്ത്യ **CNP-I: Chief Convener**

कम्युनिस्ट नेशन पार्टी (भारत)

C. N. P.-I आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Manifesto)

<u>सी. एन. पी. (आई) निम्न लिखित प्रतिज्ञा करता है:</u>

1. जन-समर्थक नीतियाँ निगम, विधायक/एमएलसी, सांसद (लोकसभा) और सांसद (राज्यसभा) के लिए कई पेंशन नीतियों को पूरी तरह से समाप्त करके राज्यों/केंद्र सरकारों के राजकोषीय घाटे के आधार पर एकल पेंशन नीति होगी।

2. दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन द्वारा महाराष्ट्र राज्य में जन-समर्थक नीति- यदि किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार ने पार्टी के बैनर तले चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ दी तो निर्वाचित उम्मीदवार के

रूप में उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी और अतीत और भविष्य के सभी लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।

3. महाराष्ट्र सरकार की जन-समर्थक नीति किसी भी शीर्ष के तहत राजनेताओं/समाजों को दिया गया भूमि पट्टा रद्द किया जाना चाहिए और सरकारी हिरासत में लिया जाना चाहिए। विधायक/एमएलसी, सांसद (लोकसभा) और सांसद (राज्यसभा) कैबिनेट मंत्रियों के लिए एक सुरक्षा गार्ड सार्वजनिक लागत पर दो से अधिक सुरक्षा गार्ड का हकदार नहीं होगा।

4. राज्य सरकार की एक छत के नीचे सभी प्रकार की चिकित्सा निदान सुविधाओं के लिए जन-समर्थक नीति उच्च मानक पॉज़िट्रॉन उत्सर्जन टोमोग्राफी (पीईटी) स्कैन, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम (सीसीटीए) कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) स्कैन, अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन, फ्लोरोस्कोपी, मैमोग्राफी, पीईटी) स्कैन, कीमोथेरेपी और डायलिसिस सहित सभी प्रकार की चिकित्सा निदान सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल है।

5. चैरिटी आयुक्त निजी/ट्रस्ट संचालित अस्पतालों में समाज के गरीब वर्ग, समाज के कमजोर वर्ग के लिए 20% से 40% बेड आरक्षित करने के लिए जन-समर्थक नीति सुनिश्चित करेंगे और सरकारी अस्पताल द्वारा निर्दिष्ट रोगी को अन्य सुविधा प्रदान की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा पीआईएल नं. 2004 का 3132 के तहत.

6. केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सभी सरकारी / अर्ध सरकारी और महाराष्ट्र राज्य में निजी अस्पताल में लागू की जाएगी।

7. कलेक्टर/समिति की जांच और रिपोर्ट पर दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के कारण महाराष्ट्र की जेल में फंसे लोग पुनर्वास उपायों के साथ रिहा होने के हकदार हैं।

8. महाराष्ट्र के किसी भी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ और/या बलात्कार की किसी भी घटना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता रहेगा, यह आवश्यक है कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) तुरंत दर्ज की जाए। 72 घंटे के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए और 30 दिनों के भीतर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उच्च

न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी भी अपील पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।

9. अवैध लाभ/उद्देश्य/दुर्भावना के उद्देश्य से धर्मांतरण विरोधी कानूनों का अधिनियमन। विवाह को विनियमित करने वाला एक लाभ, जिला न्यायाधीश को व्यक्ति के परिवार/व्यक्तिगत रिकॉर्ड को कॉल करके मुद्दों पर विचार करना चाहिए।

10. बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रभावी कार्यान्वयन, महाराष्ट्र राज्य पेशेवर पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति i.e. जे.ई.ई, एन.ई.ई.टी. आदि।

11. गिग श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण, उनके वैध नागरिकता अधिकार के अधीन रहने और काम करने के उनके बुनियादी कानूनी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। महाराष्ट्र राज्य रियायती दर पर सरदार वल्लभभाई पटेल आहार योजना खोलेगा।

12. मीडिया में एकाधिकार, मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों के क्रॉस-स्वामित्व और व्यावसायिक संगठनों द्वारा मीडिया के नियंत्रण को रोकने के लिए प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2024 या बीएसआरबी, भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन करने के लिए और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 को उचित मानदंड निर्धारित करके मोशन पिक्चर के प्रमाण पत्र को ग्रेड करने की सीमा तक लागू किया जाएगा।

13. मुस्लिमों के धार्मिक पवित्र स्थलों/संस्थानों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 में संशोधन। पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए सनातन धर्म बोर्ड की शुरूआत i.e. मंदिर और मठ। महाराष्ट्र राज्य के ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और अन्य धार्मिक समुदाय के पवित्र स्थानों/संस्थानों के लिए उपयुक्त सुरक्षा बोर्ड होगा।

14. भाषाई अल्पसंख्यकों और उनकी धार्मिक संरचनाओं और संस्थानों की भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ आवश्यक संशोधन और निवारक उपायों सहित राज्य में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन।

15. महाराष्ट्र राज्य में स्ट्रीट वेंडर (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 का कार्यान्वयन।

16. राष्ट्रीय गारंटी निधि योजना (सीजीटीएमएसई/सीसीएफ) के तहत घर खरीदारों के लिए कम ब्याज दर और व्यावसायिक उद्यमों के लिए कम ब्याज दर

17. भारत के विधि आयोग द्वारा पुनः निरसन/पुनः विचार, 1955 का नागरिकता अधिनियम (सीए) जिसके बाद एनआरसी 1951 आर/डब्ल्यू। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019-एनआरसी 2019

18. 23%-64% नौकरियों के सृजन के लिए 2010 के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना।

19. भारत के विधि आयोग द्वारा 2023 के भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, 2023 के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम और 2023 के भारतीय साक्ष्या अधिनियमक पुनः निरसन/पुनःपरीक्षा।

20. महाराष्ट्र राज्य के सभी चुनावों में मतदान के अधिकार के लिए मानदंड तय करने के लिए एक अधिनियम।

21. महाराष्ट्र राज्य में युवाओं की अधिकतम भागीदारी के लिए अग्निवीर योजना को बढ़ावा देना।

22. महाराष्ट्र राज्य केंद्र सरकार की आरक्षण नीति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और समाज के गरीब व्यक्ति के लिए तरजीही नीति शामिल करेगा।

23. केंद्र/राज्य सरकार-नमक भूमि/भारत-रेलवे भूमि से संबंधित भूमि से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल आवास योजना।

24. विकासशील समाजों में सामाजिक सुधार के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में समाज की महिला सदस्यों को बढ़ावा देना, जिसमें रियायती दरों पर आवश्यक रसोई गैस और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना शामिल है।

25. समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के सदस्यों के लिए एकल व्यवस्था कर नीति को बढ़ावा देना। महाराष्ट्र के जैन समुदायों को घाटे को कम करने में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उनके योगदान के लिए कर नीति में विशेष छूट।

26. अल्पसंख्यकों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक रोजगार, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अवसरों का उचित हिस्सा प्राप्त करना।

27. व्यापक बेरोजगारी के कारण, राहत के एकमुश्त उपाय के रूप में, सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 को अवैतनिक ब्याज सहित देय राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।

28. केंद्र सरकार का कृषि विधेयक 2020 महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा और महाराष्ट्र में आत्महत्या की घटना को रोकने के लिए हमारे किसानों के लाभ और सुरक्षित भविष्य के लिए लागू किया जाएगा।

29. कृत्रिम झीलों सहित सभी शहरों, कस्बों और ग्राम पंचायतों में पीने योग्य पानी और किसानों को रियायती दर पर पानी उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना का कार्यान्वयन। जल संचयन को अनिवार्य बनाया जाए, सभी तटीय क्षेत्रों में विलवणीकरण संयंत्र लगाए जाएं। इसके अतिरिक्त, गैर-पीने और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी के पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाएगा।

30. हरित निवेश कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और हरित नौकरियों के सृजन पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के लोगों को रियायती दर पर बिजली की खपत उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

31. वायु प्रदूषण की समस्या से तत्काल निपटने के लिए महाराष्ट्र स्वच्छ वायु कार्यक्रम को मजबूत करना ताकि रोग i.e. हृदय रोग और आघात, श्वसन रोग, क्रोनिक अवरोधक फुफ्फुसीय रोग (COPD) अस्थमा, और कम श्वसन संक्रमण, फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और त्वचा रोग, एक्जिमा, सोरायसिस और मुँहासे को ट्रिगर या खराब करने से रोका जा सके।

32. यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना कि महाराष्ट्र राज्य पुलिस आंतरिक सुरक्षा के खतरों का सबसे पहले जवाब देने वाली हो। महाराष्ट्र राज्य को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और बिना किसी दबाव या भय के

अपराधियों को दंडित करने के लिए राज्य पुलिस बलों का निर्माण, प्रशिक्षण और उन्हें सुसज्जित करना चाहिए।

33. मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री से सख्ती से निपटा जाएगा। मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बंदरगाहों का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। विनियामक और दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत किया जाएगा, और नशीली दवाओं के तस्करों, तस्करों और उनके सहयोगियों से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

34. ओ. एम. नं. 1 के अनुसार आर. एस. एस. एस. की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी की धारणा। 3/10 (एस)/66-एस्ट। (बी) दिनांक 30.11.1966, ओम सं। 7/4/70-एस्ट। (बी) दिनांक 25.07.1970, और ओम सं। 15014/3 (एस)/80-पूर्व। (बी) दिनांक 28.10.1980, को बहाल करने की आवश्यकता है।

35. सरदार वल्लभभाई पटेल की विचारधारा को सिविल सेवकों के लिए लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन में अत्यधिक निष्पक्षता और भ्रष्टाचारहीनता बनी रहे। मतदान के लिए मानदंड भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए, जो केंद्र/राज्य सरकार के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों सहित मतदान गतिविधियों में नौकरशाहों और उनके जीवनसाथी की भागीदारी को रोकता है।

36. अधिवक्ताओं को भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 के तहत कवर किया जाना चाहिए। संबंधित मंत्रालय को जे. एम. एफ. सी., जिला सिविल और सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने वाले प्रत्येक अधिवक्ता को सिविल और आपराधिक कार्य आवंटित करना चाहिए। राज्यों में लोक अभियोजकों और सरकारी वकीलों की नियमित/स्थायी नियुक्ति को समाप्त करके इसे हासिल किया जा सकता है।

<u>अपील</u>

C. N. P.-I: विश्वास कीजिए कि स्वतंत्रता के बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी सच्ची भावना के साथ अपनी सर्वोत्तम क्षमता और क्षमता के अनुसार भारत के विकास और पोषण के लिए हर संभव प्रयास किए, और भारत को विकास के रास्ते पर खड़ा किया।

C. N. P.-I: सरदार वल्लभभाई पटेल को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रमुख हिस्से को पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य से भारत के एक हिस्से के रूप में बनाए रखने में उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार ठहराया

C. N. P.-I: यह विश्लेषण किया गया है कि 1951 में एनआरसी के तहत मुसलमानों का अपमान किया गया था और उनके साथ घुसपैठियों के रूप में व्यवहार किया गया था। 1955 का भारत नागरिकता अधिनियम पड़ोसी देशों के घुसपैठियों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था। 1971 से 1976 तक, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को एक बार फिर मुस्लिम विरोधी कानूनों के अधीन किया गया, और एक गैर-विधि स्नातक को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करके न्यायपालिका की गरिमा पर हमला किया गया। 1984 में, सिख विरोधी दंगों ने सिख धार्मिक समुदाय की आस्था और मान्यताओं को नुकसान पहुंचाया, जिसमें जानमाल का नुकसान भी शामिल था। जम्मू-कश्मीर के लोगों को धर्म के आधार पर हिंसा का शिकार बनाया गया है और उन्हें आतंकवादी करार दिया गया है। 1992 में, एक सामूहिक नरसंहार हुआ जहाँ अयोध्या में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के धार्मिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे भारत की राष्ट्रीय अखंडता खतरे में पड़ गई। 1992 से 1994 तक, तीन बीघा नामक एक क्षेत्र खोला गया, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को आमंत्रित किया गया और उन्हें भारतीय नागरिकों के रूप में नियमित किया गया। उन्हें पुनर्वास नीतियां प्रदान की गईं जो अन्य लाभों के साथ-साथ उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित करती थीं। 2002 में, गोधरा की घटना के परिणामस्वरूप मुसलमानों की जान चली गई, जिससे गुजरात और आसपास के राज्यों में मुस्लिम आबादी और अधिक खतरे में पड़ गई। वर्ष 2005 में, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 आर/डब्ल्यू के तहत। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, लाउडस्पीकरों पर ब्रह्मा मूरत शंखनाथ और फजर अधान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2007 में, एनआरसी के तहत, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 लागू करके मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खतरे की स्थिति में डाल दिया गया था। सीएए को असम राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया गया था, और भारत के संविधान, 1950 की परवाह किए बिना मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हिरासत केंद्रों में भेज दिया गया था। 2020 में, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, जिसके परिणामस्वरूप घुसपैठियों के हाथों मुस्लिम और

हिंदू दोनों अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रक्तपात और संपत्ति का विनाश हुआ। शव खुले नालों में पाए गए और कई मुसलमान लापता हैं। 2024 में, मुस्लिम धार्मिक दान को निशाना बनाया गया था

C. N. P.-I: यह विश्लेषण किया गया है कि 2014 से, एनडीए सरकार ने संतोषजनक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय धार्मिक आस्था का दुरुपयोग करते हुए पेड मीडिया के माध्यम से प्रचार प्राप्त किया है। इसने देश में नफरत से भरा माहौल बनाया है, गरीब और मध्यम वर्ग को प्रभावित किया है और असमानताओं को बढ़ाया है। हर वर्ग के लोगों का जीवन खतरे में है

C. N. P.-I: अतीत की घटनाओं ने भारत के संविधान, 1950 की प्रस्तावना के प्रभावी कार्यान्वयन और संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल की विचारधारा को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

C. N. P.-I: पार्टी ने महाराष्ट्र/झारखंड के लोगों से कम्युनिस्ट नेशन पार्टी में विश्वास रखने की अपील की C. N. P.-I. पार्टी आप सभी से कम्युनिस्ट नेशन पार्टी के प्रतीक ★ और उम्मीदवार के लिए मतदान करने की अपील करते हैं।

Kind Regards,
Communist Nation Party (India)
Adv. A. A.SIDDIQUIE
CNP-I: Chief Convener

★ ★ ★